न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—91/2018/223 (2018/00091)

1. गुला पुत्र स्व0 राजू, जाति कुमावत, निवासी पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीराम पुत्र स्व0 राजू,
2. शौभराज पुत्र स्व0 चौथा,
3. चन्दा पुत्री स्व0 चौथा,
4. चौथी पुत्री स्व0 चौथा,
5. पुखराज पुत्र स्व0 छीतर पुत्र चौथा,
6. सुमित्रा पुत्री स्व0 छीतर पुत्र चौथा,
7. पूजा पुत्री स्व0 छीतर पुत्र चौथा,
8. जगन्नाथ पुत्र स्व0 राजू **(फौत) नाम तर्क,**
   सभी जाति कुमावत, निवासी पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन, दिनांक 11.4.2014 अंतर्गत वाद संख्या 46/2012.

उपस्थितः—

1. श्री डूंगरसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 20.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एव डिक्री दिनांक 11.4.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 से 7 के पूर्वाधिकारी स्व0 चौथा एवं रेस्पो0 संख्या 8 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर की आधार जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 252 में कुल किता 19 रकबा 11.60 है0 भूमि संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की है । उक्त संपूर्ण आराजी में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व प्रतिवादी/अपीलांट, प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 2 से 7 एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 8 बराबर—बराबर हिस्सेदार है । वादग्रस्त भूमि का आज दिन तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसके बावजूद प्रतिवादीगण एक राय होकर

वादी/रेस्पो0 संख्या 1 को भौतिक आधिपत्य से बेदखल कर उक्त आराजी को ट्रेक्टर से खडला कर एक रूप से बेचान करने पर आमादा है जिससे यह वाद विधिवत् बंटवारा कराने के लिये प्रस्तुत किया है । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.4.2014 को रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को समुचित तामील कराये बिना एवं जवाब, सुवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना गलत एवं अविधिक रूप से एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पे0 संख्या 1 ने दिनांक 25.5.2012 को वाद प्रस्तुत किया एवं उक्त दिनांक को ही वाद दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट के नाम सम्मन जारी किया गया । उक्त सम्मन को रेस्पो0 संख्या 1 ने तामील कुनिन्दा से मिलीभगत कर अपीलांट को तामील कराये बिना तामील कुनिन्नदा द्वारा मनमर्जी से नोटिस लेने से इंकार एवं खुले मकान पर चस्पा कर दिया गया एवं तत्पश्चात् पुनः नोटिस प्रस्तुत करने के आदेश के बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा चस्पानगी को तामील मानकर दिनांक 5.6.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई जबकि विधिनुसार सब्सीट्यूट सर्विस या चस्पानगी से तामील न्यायालय के आदेश के बिना नहीं कराई जा सकती है । प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा सब्सीट्यूट सर्विस या चस्पानगी से तामील कराने का कोई आदेश नहीं दिया बल्कि पुनः नोटिस प्रस्तुत करने का आदेश दिया परन्तु पुनः नोटिस प्रस्तुत किये एवं बिना तामील कराये तामील मानकर एकपक्षीय कार्यवाही कर जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि एवं न्यायिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आदेश 5 नियम 20 जा0दी0 के प्रावधानों को ठीक तरह से पढ़े व समझे बिना गलत एवं अविधिक रूप से चस्पानगी से सम्मन अपीलांट पर तामील होना मानकर जो आदेश पारित किया है वह जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । बहस में यह भी कथन किया कि न्यायालय द्वारा सम्मन चस्पानगी से तामील कराने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया फिर भी अपीलांट को प्रथम बार जारी सम्मन को तामील कुनिन्नदा ने मिलीभगतम कर मनमर्जी से लेने से इंकार बाते हुए खुले मकान पर चस्पा करना अंकित किया है जो पूर्णतया गलत है । साथ ही तामील कुनिन्नदा ने उक्त सम्मन पर जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर कराये है उनकी न तो वल्दियत अंकित की न ही पता, जाति, मौहल्ला, पड़ौस, आयु, दिनांक, समय कुछ भी अंकित नहीं किया है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को नोटिस तामील कराये बिना उसकी पीठ पीछे एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे उसके विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अपीलांट को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई एवं जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री

दिनांक 11.4.2014 की जानकारी अपीलांट को बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित होने से पूर्व में नहीं रही । निर्णय की जानकारी दिनांक 2.4.2018 को तब हुई जब मौके पर रेस्पो0 संख्या 1 ने झगड़ा–फसाद किया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 4.4.2018 को न्यायालय में जाकर जानकारी की तो निर्णय की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने अपना वकील नियुक्त कर दिनांक 6.4.2014 को नकले हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 13.4.2018 को नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में विलंब को माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.5.2012 को वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 26.9.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के सम्मन पर चस्पानगी से कराई गई तामील को विधिसम्मत् नहीं माना तथा प्रतिवादी/अपीलांट के लिये पुनः तलबी के आदेश दिये थे । इसके उपरांत पत्रावली प्रतिवादी/अपीलांट की तामील में चलती रही किन्तु अपीलांट को पुनः तामील के नोटिस जारी किये बिना अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट की पूर्व में चस्पानगी से अविधिक रूप से कराई गई तामील को पूर्ण तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित किये है । जब एकबार अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट की चस्पानगी से तामील को अपूर्ण मान लिया गया था तो पुनः उसी तामील को पूर्ण मानकर पारित किये गये निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तामील कुनिन्दा द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के जरिये चस्पानगी से तामील करवाया गया एवं अधी0न्याया0 उक्त चस्पानगी तामील को पूर्व में अपूर्ण तामील तथा बाद में चस्पानगी को पूर्ण तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा कथन किया गया है कि बिना न्यायालय के आदेश के चस्पानगी के जरिये प्रतिवादीगण की तामील को स्वीकार कर एकतरफा कार्यवाही करना विधिसंगत नही है । तामील कुनिन्दा द्वारा चस्पानगी से कराई गई तामील सम्मन पर दो गवाहो के हस्ताक्षर अवश्य कराये है किन्तु उनकी न तो वल्दियत अंकित की है न ही पता, जाति, मौहल्ला, पड़ौस, आयु, दिनांक व समय कुछ भी अंकित नहीं किया है। विधिनुसार चस्पानगी के जरिये तामीली के आदेश अपवाद स्वरूप दिये जाते है परन्तु इस प्रकरण में प्रथम बार में ही जरिये चस्पानगी को तामील मानते हुए आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत् नहीं है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रतिवादीगण अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष अचल सम्पति के संबंध में प्रस्तुत नहीं कर सके थे । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 5 नियम 20 जा0दी0 के

प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.4.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर